फर्द अहकाम

विशेष

य सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर

बनाम

चन्दा राज० सरकार

संख्या / वर्ष 22/2022 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/5/2024	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय "चुनाव कार्य" में व्यस्त है। आ[illegible] सूर्यानुसार दिनांक 6/5/24 को पेश हो।	
6/5/2024	पत्रावली प्रस्तुत। ~~[illegible]~~ प्रार्थी [illegible] मूलवाद के सरकार पैरोकार हेतु तहरीर जारी की गई है [illegible] इस पत्रावली के भी [illegible] पैरोकार सरकार हेतु दिनांक 27/5/2024 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	
27/5/24	पत्रावली आज दिनांक 27/5/24 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. [illegible] [illegible] द्वारा कन्डोलेन्स की जाने [illegible] [illegible] दिनांक 18/6/24 [illegible]	
18/6/2024	पत्रावली आज दिनांक 18/6/2024 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से [illegible] सूर्यानुसार दिनांक 16/7/2024 को पेश हो।	
16/7/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। प्रा०प्र० अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मिणा
आर.ए.एस.

नियमित प्रा.संख्या – 22/2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –02.02.2022

1. चंदा पुत्र नाथू
2. कैलाश पुत्र नाथू
3. शिशुपाल पुत्र बिरदा पौत्र नाथू
   समस्त 01 लगायत 03 जाति जाट, निवासी – ग्राम महेशपुरा रावान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक, तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी वाके विराजमान ग्राम महेशपुरा रावान, तहसील आमेर, जिला जयपुर शाश्वत नाबालिग जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

श्री प्रभु सिंह राजावत – अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से

निर्णय दिनांक 16.07.2024

प्रार्थी / वादी ने अपने हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके ग्राम महेशपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर की कृषि भूमि स्थित हाल सर्वे संवत 2046–2065 के हाल खसरा नम्बर 316 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 317 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 327 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 328 रकबा 1.83 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर स्थित है, जो साबिक सर्वे संवत 2010–23 के साबिक खसरा नंबर 115 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा से बने है जो इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे की मदों में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जावेगा। साबिक खसरा नंबर 115 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में मोहनलाल पि.मु.

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

भूरा कौम ब्राहम्ण के नाम अंतिम जमाबंदी में दर्ज थी, प्रार्थीगण/वादीगण ने खातेदार मोहनलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1981 द्वारा प्रतिफल राशि अदा कर वादग्रस्त आराजी को क्रय कर लिया जो विक्रय पत्र उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर के कार्यालय में दिनांक 18.06.1981 को बुक संख्या 01 जिल्द संख्या 88 पृष्ठ संख्या 247–48 क्रम संख्या 288 पर पंजीवद्ध है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना में मौका व कब्जा जॉच कर जरिये राजस्व नामांतरण संख्या 76 दिनांक 16.07.1981 को स्वीकृत किया जाकर प्रार्थीगण/वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में इंद्राज किया गया तथा प्रार्थीगण/वादीगण तीन अलग–अलग परिवार वादग्रस्त आराजी पर पुख्ता आवासीय मकानात् पशुबाड, कुंए, बोंरिग, विद्युत, कनेक्शन द्वारा भूमि को विकसित कर साधिकार बिना किसी बाधा व रूकावट के काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो वादग्रस्त आराजी से प्राप्त कृषि उपज से अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहे हैं। हाल भू–प्रबंध सर्वे में साबिक खसरा नंबर 115 से हाल खसरा नंबर 316, 317, 327 व 328 कायम किये गये है जो दौराने भू–प्रबंध कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही करते हुये वादग्रस्त आराजी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के मनमर्जी पूर्वक माफी मंदिर श्री नृसिंह जी बेएतमात पुजारी भूरा के नाम गलत दर्ज कर दी। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा न्यायालय सहायक भू–प्रबुंध अधिकारी आमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 318/1989 प्रस्तुत किया जो बाद जॉच दस्तावेजात्, कब्जा, राजस्व रिकॉर्ड व न्यायिक प्रावधानों के तहत स्वीकार होकर दिनांक 17.10.1989 को आदेश हुआ कि "सबूत में प्रार्थीगण ने नकल खतौनी संवत 2021–2037 प्रस्तुत कि है नकल विक्रय पत्र की फोटोस्टेट प्रति व नामांतरण की फोटोस्टेट कॉपी, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2042–45 प्रस्तुत कि है जिसमें यह भूमि भूरा पु. मोहनलाल के नाम खातेदारी अंकित है विद्वान अभिभाषक ने भी अपनी बहस में बताया है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अंकित थी व बंदोबस्त विभाग को भी खातेदारी अंकित करनी चाहिये थी जो कि राजस्व मंडल द्वारा बहुत से निर्णय दिये गये है कि सेटलमेंट विभाग एजटू रीपीट प्रीवयस इंद्राज में इन दी रेवेन्यू रिकॉर्ड इस प्रकार राजस्व मंडल का यह भी निर्णय है कि एक बार किसी खातेदारी देने के बाद बगैर सूने ही खातेदारी इंद्राज नहीं बदलने चाहिये जब तक राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की दफा 63 के अंतर्गत प्रावधान लागू नहीं होते हैं जिनके अनुसार भूमि एक्वायर होने या आवंटन रद्द करने पर ही

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

खातेदारी समाप्त हो सकती है। लेकिन इन प्रावधानों के बगैर ही खातेदारी खारिज कर दी गई जो कानूनन खारिज नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो राजस्व विभाग दफा 82 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट रेफरेंस करके ही राजस्व मंडल के निर्णय होने पर ही इंद्राज को बदला जा सकता है। इस प्रकार बंदोबस्त विभाग को कोई प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों पर विवेचन किया गया व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर गत 155 जिसके हाल खसरा नंबर 316, 317, 327, व 328 पर मोहन विक्रेता की खातेदारी थी जिसको प्रार्थीगण ने सन् 1981 में क्रय की है। वह राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित हो चुकी है। ऐसी दशा में बंदोबस्त विभाग पूर्व इंद्राज के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित करने में कोई ऐतराज नहीं ठहरता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर आदेश किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नंबर 316, 317, 327, व 328 पर से मंदिर की खातेदारी – से खारिज कर प्रार्थीगण चंदा, बिरदा व कैलाश पुत्र नाथू जाति जाट के नाम दर्ज किया जावे।" उक्त आदेश दिनांक 17.10.1989 की पालना में जरिये भू–प्रबंध नामांतरण संख्या 11 निर्णय दिनांक 02.01.1990 को वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया जिसके उपरांत भी भू–प्रबंध कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री व रेफरेंस आदेश के बिना अविधिक रूप से वादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण/वादीगण की खातेदारी से हजफ कर क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत दर्ज कर दी जावे जो दुरूस्त किये जोन योग्य है।

प्रार्थना दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत तलवी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी मुताबिक जमाबंदी ग्राम महेशपुरा के हाल खसरा नंबर 316, 317, 327, 328 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर की खातेदारी वर्तमान में मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह की खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम महेशपुरा के हाल खसरा नंबर 316, 317, 327, 328 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर गत खसरा नंबर 115 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा से बने है। मुताबिक मिशन बंदोबस्त संवत् 2010–2023 के अनुसार उक्त गत खसरा नंबर 115 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

माफी मंदिर श्री नरसिंह जी पुजारी भूरा वल्द बालो कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के नाम होकर खुदकाश्त दर्ज है। उक्त आराजी को तत्कालीन राजस्वकर्मियों ने मिशलबंदोबस्त संवत 2010–2023 उपरांत की जमाबंदियों को तहरीर करते समय सीधे ही मंदिर का नाम विलोपित करते हुए मोहनलाल पि.मु. भूरा कौम ब्राहम्ण के नाम अंकित कर दी गई। जिसके उपरांत मोहनलाल पि.मु. भूरा द्वारा उक्त संपूर्ण आराजी को जरिये विक्रय पत्र प्रार्थीगण चंदा, बिरदा, कैलाश पि. नाथू जाति जाट को किये जाने पर जरिये विक्रय पत्र जरिये ना.स. 76 दिनांक 16.07.1981 से प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित कर दी गई थी। मुताबिक हाल मिशल बंदोबस्त संवत् 2046 के अनुसार दौराने भूप्रबंध कार्यवाही की त्रुटि के संज्ञान में आते ही उक्त आराजी को पुनः मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी की खातेदारी में अंकित किया गया जो कि आदिनांक तक बदस्तुर मंदिर के नाम ही दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक मिशल बंदोबस्त संवत् 2010–2023 अनुसार सर्वप्रथम उक्त आराजी माफी मंदिर श्री नरसिंह जी की ही खातेदारी में खुदकाश्त दर्ज थी जिसको बाद की जमाबंदियां तहरीर करते समय माफी मंदिर का नाम विलोपित कर वादीगण/हकपूर्वधारियों की खातेदारी में दर्ज कर दी गई थी। जिसे पुनः त्रुटि में सुधार करते हुए माफी मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई है। तथा माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण प्रार्थी के हक में हकपूर्वधारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है। राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं यदि फिर भी इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गये है तो वह राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 45, 46 के प्रावधानों के विपरित व प्रांरभ शून्य है अतः प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा माफी मंदिर खुदकाश्त की भूमि में पुजारी/अन्तरिती का नाम हटाये जाने संबंधी निर्देशों की पालना में उक्त आराजी माफी मंदिर दर्ज की गई थी।

अतः श्रीमान् जी प्रकरणागत आराजी मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण वादी द्वारा राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रस्तुत उक्त उनवानी वाद खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। राज. काश्तकारी

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अधिनियम 1955 की धारा 46 में मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं यदि फिर भी इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गये है तो वह राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 45, 46 के प्रावधानों के विपरित व प्रांरभ शून्य है तहसीलदार द्वारा प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा माफी मंदिर खुदकाश्त की भूमि में पुजारी/अन्तरिती का नाम हटाये जाने संबंधी निर्देशों की पालना में उक्त आराजी माफी मंदिर दर्ज की गई है। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य साबित ना होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर